

5/11/20

2020

330

गरिभग

वकील वादी उपर प्रतिवादी सं. 5, 6 व 8 उपर
वादी को शेष प्रति सं. 1, 2, 3, 4 व 7 की वकील
हेतु तमबाणा पेश करने हेतु दि० 3/3/09, से अनेक
अवसर प्रदान किये गये वादी को दि० 18/6/19 को
न्यायद्वि में एक अन्तिम अवसर दिशा गया। लेकिन
वादी ने वकील हेतु तमबाणा पेश नहीं किये। फिर
भी न्यायालय द्वारा दि० 27/10/20 को न्यायद्वि
में वकील हेतु तमबाणा पेश करने हेतु एक और अन्तिम
अवसर दिशा गया। वादी को प्रतिवादीगण की वकील
हेतु तमबाणा पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने
उपरान्त भी तमबाणा पेश नहीं किये। अतः वाद वादी
OROS CPC के तहत अदम तकमीक (NON-Compliance)
में स्वारिज किया जागा है पतावाकी काद तकमीक दाखिल
दफ्तर हो सुनया गका।

सहायक कलक्टर
अलावर

